भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3427

उत्तर देने की तारीख- 12.03.2026

जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाने के उपाय

3427. श्री सुदामा प्रसाद :
श्री राजा राम सिंह :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की जनगणना - 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता लगभग 59 प्रतिशत है और ओडिशा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनजातीय साक्षरता का स्तर तुलनात्मक रूप से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से दूरस्थ और छूटे हुए क्षेत्रों में जनजातीय छात्रों की भागीदारी, नामांकन, प्रतिधारण और पूर्णता दर में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और अन्य आवासीय/दिवस विद्यालयों सहित समर्पित जनजातीय विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो स्थापित की गई है अथवा उन्हें चालू कर दिया गया है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान जनजातीय छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों और अन्य लक्षित वित्तीय सहायता योजनाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत जारी की गई निधियां कितनी हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में अजजा की साक्षरता दर 1961 में 8.53 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 58.96 प्रतिशत हो गई। जबकि कुल जनसंख्या में अनुरूप (सदृश) वृद्धि 1961 में 28.30 प्रतिशत से 2011 में 72.99 प्रतिशत हो गई। 2001 से 2011 तक अजजा की साक्षरता दर 11.86 प्रतिशत अंक तक बढ़ी और इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या के लिए 8.15 प्रतिशत अंक तक बढ़ी। साक्षर जनसंख्या की गणना में, 0-6 साल के समूह की जनसख्या को शामिल नहीं किया गया है।

वर्ष 1991, 2001 और 2011 के लिए भारत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की साक्षरता दर और उनमें अंतर क्रमशः नीचे दिया गया है :

वर्ष	**सभी सामाजिक समूह**			**अनुसूचित जाति**			**अनुसूचित जनजाति**		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	40.40	15.35	28.30	16.96	3.29	10.27	13.83	3.16	8.53

1971	45.96	21.97	34.45	22.36	6.44	14.67	17.63	4.85	11.30
1981	56.38	29.76	43.57	31.12	10.93	21.38	24.52	8.04	16.35
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23.76	37.41	40.65	18.19	29.60
2001	75.26	53.67	64.84	66.64	41.90	54.69	59.17	34.76	47.10
2011	80.89	64.64	72.99	75.17	56.46	66.07	68.53	49.35	58.96

*स्रोत: भारत के महापंजीयक (*1961-2011), *भारत की जनगणना, गृह मंत्रालय*

साल 1961, 1971 से 2011 तक कुल जनसंख्या की तुलना में अजजा की साक्षरता दर में अंतर नीचे दिया गया है:

अनुसूचित जनजातियों और कुल जनसंख्या की तुलनात्मक साक्षरता दर (प्रतिशत में)

श्रेणी / जनगणना वर्ष	**1961**	**1971**	**1981**	**1991**	**2001**	**2011**
कुल जनसंख्या	28.3	34.45	43.57	52.21	64.84	73.00
अनुसूचित जनजातियाँ	8.53	11.30	16.35	29.60	47.10	59.00
अंतर	**19.77**	**18.15**	**19.88**	**22.61**	**17.74**	**14.00**

*स्रोत: भारत के महापंजीयक (*1961-2011), *भारत की जनगणना, गृह मंत्रालय*

समस्त जनसंख्या अजजा जनसंख्या की राज्य-वार साक्षरता दर,और अंतर: जनगणना 2011

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**व्यक्ति**			**पुरुष**			**महिला**		
		सभी	**अजजा**	**अंतर**	**सभी**	**अजजा**	**अंतर**	**सभी**	**अजजा**	**अंतर**
	भारत	**73**	**59**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.2**
1	जम्मू और कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	**राजस्थान**	**66.1**	**52.8**	**13.3**	**79.2**	**67.6**	**11.6**	**52.1**	**37.3**	**14.8**
5	**उत्तर प्रदेश**	**67.7**	**55.7**	**12.0**	**77.3**	**67.1**	**10.2**	**57.2**	**43.7**	**13.5**
6	**बिहार**	**61.8**	**51.1**	**10.7**	**71.2**	**61.3**	**9.9**	**51.5**	**40.4**	**11.1**
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80	-0.4	82.8	83.1	-0.3	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.3	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	-0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	-1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8

16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	**ओडिशा**	**72.9**	**52.2**	**20.7**	**81.6**	**63.7**	**17.9**	**64**	**41.2**	**22.8**
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन और दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादरा और नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

स्रोत: जनगणना 2011

नोट: 2011 तक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति
अधिसूचित नहीं।

(ख) से (घ): निम्नलिखित योजनाओं में जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस):** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) जनजातीय छात्रों को कक्षा VI से XII तक आवासीय व्यवस्था (सेट-अप) में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सथापित किए गए हैं। ये स्कूल उच्च प्राथमिक और माध्यमिक (सेकेंड्री) स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

ईएमआरएस की स्थापना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए बुनियादी ढाँचे के प्रावधान हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी बाधाओं से मुक्त 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आवश्यक प्रावधान है। विद्यालय की सुविधाओं में अत्याधुनिक कक्षाएँ, एक पूरी तरह सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुविधाएँ, शौचालय और पेयजल सुविधा, खेलकूद सुविधाएँ (इनडोर और आउटडोर) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास, रसोई एवं भोजन कक्ष शामिल है और शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हालाँकि, तदन्तर 15 एकड़ के मानदंड में मामला-दर-मामला आधार पर शिथिलता (ढील) दी गई है।

31.01.2026 तक, 400 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, 323 निर्माणाधीन हैं (266 पर काम चल रहा है और 57 पूर्व-निर्माण चरण में हैं)।

जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास तक उनकी समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इन स्कूलों में निम्नलिखित सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही हैं: -

1. शैक्षिक अवसंरचना:

o आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएँ।

o विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ।

o विविध शिक्षण संसाधनों सहित पुस्तकालय।

2. आवास और सुविधाएँ:

o छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं।

o बिस्तर, फर्नीचर और साफ़-सफ़ाई जैसी आवश्यक सुविधाओं सहित लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास।

3. खेल और पाठ्येतर सुविधाएं:

o खेल के मैदान और खेल का सामान।

o संगीत, कला और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएँ

4. स्वास्थ्य और पोषण:

o नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय सुविधाएं।

5. आईटी और डिजिटल शिक्षा:

o डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएँ।

o इंटरनेट पहुंच के साथ कंप्यूटर लैब।

6. व्यावसायिक प्रशिक्षण:

o रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7. एनईएसटीएस ने 2023-24 के दौरान केंद्रीकृत अखिल भारतीय भर्ती परीक्षा ईएसएसई- 2023 के माध्यम से ईएमआरएस के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भी भर्ती की है। चूँकि इन कर्मचारियों का चयन खुली परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले शिक्षकों का चयन किया गया है। ईएसएसई - 2023 के माध्यम से कुल 7083 शिक्षण कर्मचारी चयनित हुए हैं। सीधी भर्ती के अतिरिक्त, एनईएसटीएस ने राज्य सरकारों को कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर रखने की भी सलाह दी है। इसके अलावा, राज्य ईएमआरएस सोसायटी रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के आधार /स्थानीय नियोजन पर नियोजित कर रही

हैं, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट न आए। इसके अलावा, ईएसएसई -2025 के तहत भर्ती प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, अच्छा शैक्षणिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

• **छात्र-केंद्रित शैक्षणिक सहायता:** सीखने में अंतर (कमी) वाले छात्रों को सहायता प्रदान करने और सभी ग्रेड में आसानी से पारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिज कोर्स, उपचारात्मक कक्षाएं और शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं।

• **समग्र विकास पर ध्यान सकेन्द्रण:** ईएमआरएस, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों, खेल और जीवन कौशल शिक्षा के एकीकरण पर ज़ोर देते हैं ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और वे जुड़े रहें।

• **करियर मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी:** उच्च शिक्षा और करियर पथ पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए करियर परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी में कक्षा XI और XII के छात्रों को नीट/जेईई की तैयारी जैसे विशेष कोचिंग कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

• **कौशल विकास और व्यावसायिक जानकारी (अनुभव):** राज्य में कई ईएमआरएस में कौशल प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं, जो परिधान, ऑटोमोटिव, एआर/वीआर, एआई, सौंदर्य और तन्दुरूस्ती, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल जैसे व्यवसायों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

• **योग्य (अर्हता प्राप्त) शिक्षकों की उपलब्धता:** एनईएसटीएस ने ईएमआरएस के लिए सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं और छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए शैक्षणिक सहायता देते हैं।

• **सुसज्जित बुनियादी ढांचे और सुविधाएं:** सीखने का अच्छा वातवरण प्रदान करने के लिए स्कूल आधुनिक कक्षाएँ, डिजिटल शिक्षण संसाधन, विज्ञान प्रयोगशालाएँ और खेल सुविधाओं से सज्जित हैं।

• **उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियाँ:** इन निरंतर प्रयासों के साथ, ईएमआरएस के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता का प्रदर्शन किया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में, देश भर में ईएमआरएस के 219 छात्रों ने जेईई मेन (मुख्य परीक्षा) उत्तीर्ण की, 34 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड उत्तीर्ण किया और 344 छात्रों ने नीट उत्तीर्ण किया।

संबंधित राज्य ईएमईएमआरएस सोसाइटियों की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 05 वर्षों में ईएमआरएस में नामांकित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है:

शैक्षणिक वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (06.03.2026 तक)**
ईएमआरएस में छात्र नामांकन	90520	105463	113275	123841	138336	156564

पिछले पांच वर्ष और वर्तमान वर्ष में स्वीकृत और क्रियाशील ईएमआरएस राज्य-वार और वर्ष-वार निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
		क्रियाशील	क्रियाशील	क्रियाशील	क्रियाशील	क्रियाशील	क्रियाशील
1.	आंध्र प्रदेश	7	2				
2.	अरुणाचल प्रदेश			1	2		
3.	असम						5
4.	बिहार					2	
5.	छत्तीसगढ़	29		3		1	
6.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1					
7.	गुजरात					4	6
8.	जम्मू और कश्मीर			6			
9.	झारखंड					44	
10.	कर्नाटक	2					
11.	केरल			2			
12.	लद्दाख						
13.	मध्य प्रदेश	18					
14.	महाराष्ट्र	1	6	6			
15.	मणिपुर						2
16.	मेघालय						2
17.	मिजोरम		4			5	
18.	नागालैंड						
19.	ओडिशा	8		5		15	
20.	राजस्थान	4	9				1
21.	तेलंगाना	7					
22.	त्रिपुरा			1			6
23.	उत्तर प्रदेश					1	
24.	उत्तराखंड	2			1		
25.	पश्चिम बंगाल					1	
	कुल	**79**	**21**	**24**	**3**	**73**	**22**

ईएमआरएस की स्थापना और संचालन के लिए शुरू से लेकर 22.01.2026 तक राज्य-वार/ संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार जारी निधियां निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	6,199.12	14,591.28	12,600.57	10,795.05	23,669.35	20,396.61
2	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)	200.24	119.54	1,010.87	693.91	2,021.21	3,937.14
3	असम (पूर्वोत्तर)	750.00	1,800.00	1,433.65	2,732.67	10,654.29	11,409.47
4	बिहार	10.00	-	-	8.95	34.12	1,948.30
5	छत्तीसगढ़	6,968.12	13,259.66	19,435.93	15,888.89	86,649.55	37,597.79
6	दादरा और नगर हवेली	95.70	252.55	568.22	163.45	353.32	4,516.78
7	एनईएसटीएस मुख्यालय	1,406.04	2,523.79	4,438.96	14,129.47	9,376.35	436.65
8	गुजरात	4,755.86	1,060.00	10,088.95	15,667.55	27,444.15	20,066.54
9	हिमाचल प्रदेश	255.06	599.11	483.18	829.76	1,616.71	1,382.67
10	जम्मू और कश्मीर	-	392.40	1,200.00	891.40	824.19	970.08
11	झारखंड	2,205.73	11,309.20	23,562.27	23,915.13	64,305.31	55,355.44
12	कर्नाटक	2,495.83	3,672.86	1,768.84	2,677.67	7,933.24	3,926.78
13	केरल	-	229.56	1,515.66	249.00	1,252.21	1,433.67
14	लद्दाख	-	10.00	450.00	800.00	17.41	400.00
15	मध्य प्रदेश	14,459.36	3,560.00	31,817.79	13,157.19	37,339.69	34,484.85
16	महाराष्ट्र	2,787.16	4,393.74	12,919.16	8,525.91	30,489.87	16,788.02
17	मणिपुर	1,268.00	398.08	2,369.98	3,044.92	2,397.58	12,692.25
18	मेघालय (पूर्वोत्तर)	1,123.45	1,100.00	800.00	21,014.66	31,942.72	9,145.53
19	मिजोरम	3,283.73	6,085.41	2,094.54	1,242.52	14,619.30	3,421.03
20	नागालैंड	5,885.51	9,481.60	557.71	18,377.12	698.27	534.61
21	ओडिशा	6,174.27	10,648.82	28,164.31	48,934.80	64,965.47	51,916.13
22	राजस्थान	12,944.17	18,214.71	19,463.30	13,687.79	14,322.63	11,462.41
23	सिक्किम	800.33	1,037.88	1,047.35	1,118.83	1,058.36	1,239.46
24	तमिलनाडु	1,225.14	1,190.62	1,098.78	1,099.80	1,738.95	2,797.39
25	तेलंगाना	9,517.30	19,695.52	12,794.53	14,276.17	16,813.70	12,450.42
26	त्रिपुरा	6,064.89	5,715.44	6,435.19	6,670.35	11,728.87	13,779.31
27	उत्तर प्रदेश	386.68	337.49	596.23	624.14	1,384.63	1,012.34
28	उत्तराखंड	321.28	598.39	474.95	1,537.53	3,880.32	2,636.34
29	पश्चिम बंगाल	2,062.45	-	2,303.67	1,869.70	1,789.50	900.00
कुल		**93,645.42**	**1,32,277.67**	**2,01,494.59**	**2,44,624.33**	**4,71,321.28**	**3,39,038.01**

(ii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
iii) अजजा छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।
iv) अजजा छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
v) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

ऊपर उल्लिखित योजनाओं में से, क्रम संख्या (i) से (ii) तक की छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं दोनों ही खुली (ओपन एंडेड) योजनाएं हैं, जिसमें उन सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिनके माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का संवितरण संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर और वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति की जांच करने के बाद केंद्रीय हिस्से की निधियां जारी करता है। राज्य सरकारें/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन डीबीटी मोड के माध्यम से सभी पात्र अजजा छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का संवितरण करते हैं।

क्रम संख्या (iii) से (v) तक की योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। अजजा छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के तहत, निधियां सीधे छात्रों/संस्थानों को डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती हैं, जबकि क्रम संख्या (v) की राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से लागू की जाती हैं, निधियां दूतावासों के माध्यम से विदेशों में पढ़ रहे अजजा छात्रों को जारी की जाती हैं, इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को निधियों की प्रतिपूर्ति करता है।

ऊपर वर्णित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत जारी की गई निधि और लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया हैं:

(iii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

पिछले दो वर्षों में आवंटन एवं व्यय के ब्यौरे सहित योजना के तहत मंत्रालय द्वारा किए गए आवंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है

2023-24, 2024-25 के दौरान निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय
	ब.अ.	सं.अ.	
2023-24	140.00	149.95	149.95
2024-25	160.00	175.00	175.00

अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी निधि और उनके लाभार्थियों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26	
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	12.00	296	8.00	284	0#	260	0#	173	10.00	281
2	आंध्र प्रदेश	1434.00	26676	3935.00	35364	0#	40465	5700.00	*	3077.00	*
3	अरुणाचल प्रदेश	0#	5676	207.00	4548	267.00	5178	0#	2852	0#	2831
4	असम	17.00	2504	102.00	4767	107.00	5688	188.00	4353	100.00	8075
5	बिहार	0#	51076	0#	42425	0#	26450	0#	8451	0#	15139
6	छत्तीसगढ़	3542.00	132421	0#	129615	0#	28642	5250.00	44837	0#	27171
7	दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	234.00	2760	207.00	2167	0#	2017	0#	1273	0#	1162
8	गोवा	41.00	2504	0#	1978	108.00	2108	53.00	1670	36.00	1698
9	गुजरात	2199.00	166649	3689.00	157714	5452.00	157553	6200.00	121083	923.00	124886
10	हिमाचल प्रदेश	92.00	1846	0#	2160	79.00	2479	110.00	2616	0#	3260
11	जम्मू और कश्मीर	0#	2621	0#	5883	0#	4689	0#	2548	0#	8371
12	झारखंड	0#	87131	3899.00	136830	0#	129269	5700.00	114519	0#	129142
13	कर्नाटक	0#	92254	1753.00	85554	2370.00	98705	3400.00	97191	700.00	104211
14	केरल	117.00	9880	347.00	7071	0#	9457	436.00	8331	100.00	10980
15	लद्दाख	42.00	421	74.00	1439	0#	760	0#	2228	40.00	2029
16	मध्य प्रदेश	5429.00	378127	11458.00	328961	12744.00	255944	0#	259997	5305.00	212347
17	मणिपुर	0#	2479	0#	2365	0#	1836	0#	3470	0#	3916
18	मेघालय	0#	616	0#	2406	115.00	1588	0#	5590	70.00	6149
19	मिजोरम	168.00	11046	657.00	10031	0#	10312	307.00	8911	0#	8807
20	नागालैंड	61.00	451	0#	307	0#	*	0#	*	0#	*
21	ओडिशा	6945.00	190066	5237.00	135053	9397.00	79252	0#	106691	2950.00	122029

22	पुडुचेरी	2.00	19	0#	23	0#	21	0#	11	0#	14
23	राजस्थान	3127.00	208751	6234.00	213064	3531.00	73816	0#	76272	2236.00	57037
24	सिक्किम	9.00	88	0#	296	18.00	49	0#	62	0#	377
25	तमिलनाडु	241.00	14822	547.00	16854	404.00	15325	362.00	17557	60.00	19178
26	तेलंगाना	0#	7623	0#	3066	0#	9255	150.00	2460	0#	*
27	त्रिपुरा	252.00	9404	59.00	17307	1137.00	15017	0#	11601	692.00	12597
28	उत्तर प्रदेश	0#	2007	88.00	815	0#	1579	0#	2329	0#	3211
29	उत्तराखंड	138.00	1212	0#	1313	0#	1464	15.00	902	70.00	812
30	पश्चिम बंगाल	788.00	28504	913.00	28053	0#	23979	2989.00	21789	0#	24333
	कुल	**24890.00**	**1439930**	**39414.00**	**1377713**	**35729.00**	**1003157**	**30860.00**	**929767**	**16369.00**	**910043**

***राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया है**

 # पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को निधि जारी कर दी गई है।

अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी निधि और लाभार्थियों का ब्यौरा											
											(₹ लाख में)
क्र. सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**		**वित्तीय वर्ष 2022-23**		**वित्तीय वर्ष 2023-24**		**वित्तीय वर्ष 2024-25**		**वित्तीय वर्ष 2025-26**	
		जारी निधि	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**
1	अंडमान और निकोबार	13.29	327	10	491	0#	386	0#	193	10	311
2	आंध्र प्रदेश	6039.35	112645	8991	117089	13357	129032	11471	79780	12000	67888
3	अरुणाचल प्रदेश	5712.96	31527	12361	43744	9616	46330	8000	42417	10000	45125
4	असम	5413.54	53205	1093	71115	6845	62140	3500	58774	7971	77350
5	बिहार	708.22	9068	0#	16302	0#	3768	0#	1444	443	3428
6	छत्तीसगढ़	8790.24	73550	0#	86910	9330	34184	7125	40552	7000	34022
7	दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	3481.73	3549	0#	3352	0#	2208	404	1053	490	1627
8	गोवा	458.18	4822	0#	4047	1187	4439	527	3274	500	3163

9	गुजरात	22977.64	237041	46170	260770	24426	262538	35000	226456	23122	233161
10	हिमाचल प्रदेश	L	2410	0#	3332	0#	4303	0#	4390	500	4937
11	जम्मू और कश्मीर	805.44	4316	0#	8335	684	10430	746	7319	995	15309
12	झारखंड	0#	92117	12655	127258	0#	147633	5311	148676	20000	65104
13	कर्नाटक	0#	112381	17081	133422	0#	131968	22556	123707	12500	125823
14	केरल	3285.25	15820	2516	14558	0#	14863	4689	13731	2900	13034
15	लद्दाख	738	3055	2214	8631	1891	8619	596	9413	3500	8969
16	मध्य प्रदेश	12344	346060	24529	457808	27049	391317	35000	353486	25000	326410
17	महाराष्ट्र	18149.52	157503	19215	130732	9027	135915	57036	139165	11781	144785
18	मणिपुर	2184.19	37258	4292	47793	4138	42572	3000	33542	2500	32275
19	मेघालय	0#	16399	2636	52598	14620	61360	8500	76755	14508	73902
20	मिजोरम	3446.82	33073	3875	37448	2590	38784	2500	31685	2400	28471
21	नागालैंड	3226.37	36940	4436	40588	3608	40638	3500	42485	6200	41793
22	ओडिशा	19095.97	175252	21843	207678	17133	204172	13564	213957	29400	230366
23	पुडुचेरी	19.56	24	0#	23	0#	18	0#	11	0#	10
24	राजस्थान	25557.03	206011	13745	188614	18810	236628	22000	168516	35000	*
25	सिक्किम	553.83	3488	1036	4233	925	2650	0#	1849	600	2411
26	तमिलनाडु	3328.99	21383	4849	24441	2854	23529	2000	25216	2500	28273
27	तेलंगाना	27297.83	118347	7504	126708	23851	114911	11250	131505	15250	131032
28	त्रिपुरा	4804.98	26108	7189	35520	4522	37380	4000	33678	7494	33506
29	उत्तर प्रदेश	2218.67	8132	0#	8930	0#	9655	1000	9676	1500	10427
30	उत्तराखंड	0#	3039	3568	3837	0#	3534	188	3972	270	3853
31	पश्चिम बंगाल	2256.42	60846	3872	78100	0#	63208	3406	37760	3500	29528
	कुल	**182908**	**2005696**	**225680**	**2344407**	**196463**	**2269112**	**266869**	**2064437**	**259834**	**1816293**

***राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया है**

 # पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को निधि जारी कर दी गई है।

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) के तहत पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य-वार निधि निर्मुक्ति और लाभार्थी

लाख रुपये में

		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26	
क्र.सं.	राज्य	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0.00	0	17.08	1	42.47	2	33.24	1
2	अरुणाचल प्रदेश	4.82	1	2.55	2	0.00	0	18.99	1	5.26	1
3	असम	26.36	3	28.18	6	10.67	4	51.18	4	26.27	2
4	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	4.56	1	0.00	0	4.34	1	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	23.29	2	15.84	1	16.52	1	0.00	0	0.00	0
6	गोवा	21.33	1	38.10	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7	गुजरात	32.06	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8	जम्मू और कश्मीर	0.66	1	28.69	1	10.32	3	58.86	4	27.38	3
9	झारखंड	25.91	1	27.23	2	23.69	1	33.16	4	73.86	5
10	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.08	1	0.00	0
11	लद्दाख	0.00	0	1.50	1	2.43	1	9.07	1	0.00	0
12	मध्य प्रदेश	19.28	1	13.28	1	14.47	1	9.10	1	1.80	1
13	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	2.37	1	5.54	3	48.53	3
14	मणिपुर	21.48	3	45.64	8	102.83	13	202.49	20	118.60	18
15	मेघालय	0.00	0	1.15	1	10.49	2	46.19	2	60.23	3
16	मिजोरम	59.19	2	9.18	3	0.00	0	6.84	3	5.51	2
17	नागालैंड	79.24	6	167.91	6	67.39	6	43.94	6	36.50	4
18	ओडिशा	0.00	0	1.82	1	15.38	1	21.18	2	66.71	2
19	राजस्थान	28.07	1	38.66	1	9.94	2	43.19	2	3.60	2
20	तेलंगाना	108.56	6	68.88	7	66.22	5	58.96	4	91.07	8
21	त्रिपुरा	0.00	0	0.93	1	0.00	0	3.64	1	0.00	0
22	उत्तराखंड	0.00	0	0.52	1	24.12	1	9.12	1	3.47	1

23	पश्चिम बंगाल	25.74	1	0.36	1	3.20	1	30.66	2	5.23	2
कुल		**476.00**	**30**	**495.00**	**46**	**397.14**	**44**	**700.00**	**65**	**607.25**	**58**

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक एसटी छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (एनएफएसटी) के तहत राज्य-वार जारी की गई राशि और लाभार्थी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26	
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4.55	1	4.08	1
2	आंध्र प्रदेश	460.46	140	367.49	127	399.08	106	344.02	90	303.32	59
3	अरुणाचल प्रदेश	328.06	87	322.71	99	469.92	129	738.40	133	722.61	142
4	असम	510.87	147	541.42	162	666.25	180	1077.59	189	1008.09	195
5	बिहार	35.60	8	30.09	10	55.51	15	91.23	13	50.76	10
6	छत्तीसगढ़	222.39	59	205.25	71	334.42	101	664.37	109	593.98	113
7	गोवा	2.51	2	0.00	0	0.87	1	0.10	1	0.00	0
8	गुजरात	414.25	150	430.46	139	508.38	145	745.48	146	614.44	113
9	हिमाचल प्रदेश	123.58	32	161.82	45	181.86	45	276.22	54	194.73	35
10	जम्मू और कश्मीर	388.60	101	435.03	115	477.87	119	622.76	119	527.82	103
11	झारखंड	159.57	54	170.53	60	267.52	74	417.20	73	347.78	67
12	कर्नाटक	1138.78	298	998.32	301	1166.85	296	1504.64	289	1091.94	203
13	केरल	27.97	11	24.40	12	37.20	14	74.66	12	66.90	11
14	लद्दाख	108.79	27	148.73	37	187.98	51	367.41	55	290.31	53
15	लक्ष्यद्वीप	1.68	1	8.39	2	2.63	1	9.45	1	2.16	1
16	मध्य प्रदेश	219.56	99	274.35	75	187.69	67	263.86	53	173.85	36
17	महाराष्ट्र	227.88	86	303.21	93	277.96	79	367.67	81	401.18	69

18	मणिपुर	404.91	114	437.77	129	543.87	138	807.03	147	732.72	139
19	मेघालय	421.02	133	354.19	124	490.13	122	759.98	142	746.93	138
20	मिजोरम	537.53	144	514.31	194	1318.32	292	1808.74	288	1959.23	340
21	नागालैंड	532.57	158	465.90	166	747.42	186	1141.42	216	1175.66	222
22	ओडिशा	370.61	137	253.67	113	357.78	141	839.50	142	1215.64	191
23	पुडुचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.43	2	5.10	1
24	राजस्थान	286.13	89	276.04	83	399.85	102	577.22	104	476.14	88
25	सिक्किम	87.86	23	70.38	21	74.06	20	107.79	21	96.96	20
26	तमिलनाडु	115.24	32	87.48	30	136.18	27	121.28	24	108.26	22
27	तेलंगाना	1608.68	383	1297.41	376	1224.52	353	1267.57	313	708.03	173
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.85	1	4.95	1
29	त्रिपुरा	82.40	28	86.26	29	168.62	35	282.64	46	289.24	51
30	उत्तर प्रदेश	43.79	12	23.97	12	61.39	10	76.42	15	117.91	17
31	उत्तराखंड	17.74	6	14.32	5	22.67	6	38.52	8	48.55	8
32	पश्चिम बंगाल	198.84	64	181.76	63	285.02	83	540.82	87	383.01	76
	कुल	**9077.88**	**2625**	**8485.65**	**2693**	**11051.80**	**2938**	**15955.81**	**2975**	**14462.27**	**2698**

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (शीर्ष श्रेणी योजना) के तहत राज्य-वार जारी की गई राशि और लाभार्थी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**		**वित्तीय वर्ष 2022-23**		**वित्तीय वर्ष 2023-24**		**वित्तीय वर्ष 2024-25**		**वित्तीय वर्ष 2025-26**	
		जारी निधि	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**लाभार्थी**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.05	1	2.82	1	2.60	1	0.96	1	0.51	1
2	आंध्र प्रदेश	147.82	147	163.20	182	154.65	172	349.85	321	382.87	343
3	अरुणाचल प्रदेश	40.56	56	43.49	44	32.93	26	125.14	52	183.92	98
4	असम	136.88	62	195.68	81	158.32	89	285.64	154	538.66	229

5	बिहार	104.15	71	127.24	84	92.17	72	160.54	109	192.90	141
6	छत्तीसगढ़	58.35	69	61.68	71	82.74	72	195.79	156	244.40	192
7	गोवा	0.69	2	0.08	1	0.00	0	10.74	3	27.39	5
8	गुजरात	31.32	20	40.49	21	47.28	20	67.73	41	115.28	71
9	हिमाचल प्रदेश	64.21	34	76.29	46	41.21	31	74.45	69	93.79	77
10	जम्मू और कश्मीर	20.29	18	13.59	13	17.50	17	38.43	29	40.52	32
11	झारखंड	236.79	98	298.19	99	241.65	85	354.54	150	944.83	304
12	कर्नाटक	167.57	102	232.27	115	240.39	149	334.40	209	381.41	227
13	केरल	1.68	2	0.45	2	5.34	5	4.50	4	20.47	6
14	लद्दाख	66.60	47	71.49	58	86.39	42	127.41	97	133.44	83
15	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	3.31	2	3.06	2	4.04	2
16	मध्य प्रदेश	63.65	49	69.41	57	86.84	58	235.36	133	275.60	179
17	महाराष्ट्र	78.25	33	107.99	45	138.70	61	253.77	113	277.90	135
18	मणिपुर	50.64	46	62.35	40	91.24	42	165.42	92	238.66	156
19	मेघालय	44.02	37	44.33	25	62.79	36	129.76	76	194.00	132
20	मिजोरम	36.04	32	84.68	23	73.03	27	95.30	37	133.13	74
21	नागालैंड	64.29	40	38.68	26	20.54	29	98.64	74	259.09	220
22	ओडिशा	68.85	31	118.96	35	89.41	44	159.80	73	209.86	97
23	पुडुचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24	राजस्थान	313.35	363	387.25	389	355.01	393	744.71	708	872.83	839
25	सिक्किम	17.46	11	13.82	9	4.23	4	49.59	35	53.17	36
26	तमिलनाडु	13.55	7	10.55	8	15.43	14	30.20	26	45.25	27
27	तेलंगाना	961.82	988	1110.79	1180	1121.47	1228	2579.90	2452	3131.48	2942
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	12.24	1	11.91	1	4.00	1
29	त्रिपुरा	3.49	5	13.99	8	24.95	13	48.04	17	114.18	111
30	उत्तर प्रदेश	43.58	33	40.91	35	71.32	47	104.58	74	149.30	103
31	उत्तराखंड	40.84	21	41.89	31	24.56	25	80.40	57	101.51	70
32	पश्चिम बंगाल	51.67	24	43.95	22	49.91	23	123.42	64	173.34	80
	कुल	**2931.46**	**2449**	**3516.51**	**2751**	**3448.15**	**2828**	**7043.97**	**5429**	**9537.73**	**7013**

*****